

कार्यालय नगर परिषद – दलसिंहसराय।

पत्रांक : 1366 दिनांक : 2-6-22

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दलसिंहसराय।

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार।

विषय : नगर विक्रय समिति द्वारा चार्टर के प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक-19623/2022 दिनांक-11.03.22

संदर्भ : विभागीय पत्रांक-1966 दिनांक-23.11.20


महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि नगर परिषद दलसिंहसराय क्षेत्रांतर्गत फुटपाथ विक्रेता चार्टर का प्रकाशन कार्यालय ज्ञापांक-1347 दिनांक-01.06.2022 द्वारा कर दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :
यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दलसिंहसराय। 2/6/2022

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,
परियोजना पदाधिकारी -सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् (बख्तियारपुर, बांका, बरबीथा, दलसिंहराय, लखीसराय, इबोली खडगपुर,
महनार एवं मसौढ़ी)
नगर पंचायत (बडहिया, बारसोई, खुसरूपुर, महाराजगंज, मखदुमपुर, सोनपुर एवं
सुरसंड)

विषय:
प्रसंग: नगर विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रेता चार्टर के प्रकाशन के सम्बन्ध में।
दिनांक: 11-03-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा सभी नगर निकायों में फुटपाथ विक्रेता
चार्टर प्रकाशित करने का निदेश प्रदत्त है परन्तु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कृत कार्यवाई को
पूर्ण नहीं किया जा सका है।

फुटपाथ विक्रेता चार्टर का प्रारूप पत्र के साथ पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने नगर निकाय में
इसे 7 कार्य दिवस में प्रकाशित कर विभाग को अविलम्ब प्रतिवेदित किया जाये।

अनु: यथोक्त


विश्वासभाजन

Signed by Umakant Pandey

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 13/03/2022 दिनांक: 01-03-22

कार्यालय सूचना मंडल पर प्रकाशित एवं प्रदर्शित।



नगर परिषद्, दलसिंहराय

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, दलसिंह शराय नगर निगम/नगर परिषद् / नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाना है।

क्रम सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजीकरण	(i) परिवार का फोटो (ii) फुटपाथ विक्रेता का फोटो (iii) आधार कार्ड की प्रतिलिपि (iv) मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
3.	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4.	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु-500/रु०	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

क्रम सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
1	2	3	4	5	6	7
5.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज़ के आधार पर	50/रु.	7 दिन	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी


 अध्यक्ष,
 नगर विक्रय समिति,
 दलसिंह सराय, नगर परिषद् / नगर पंचायत